न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 103/2017

1– श्री लक्ष्मण पुत्र श्री दीना

2– श्री अशरफ पुत्र श्री दीना

3– सीता पत्नि नीरा

समस्त जाति मेहरात निवासीयान ग्राम लाखीना ग्राम पंचायत सुहावा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर

————वादीगण

ब ना म

1– राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, मसूदा तहसील मसूदा जिला–अजमेर

2– राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, कलेक्ट्रेट परिसर, अजमेर जिला–अजमेर

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी

निर्णय दिनांक 23.5.2018

वादीगण ने अपने वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है, कि ग्राम नीमगढ पटवार हल्का नीमगढ तहसील मसूदा में खसरा नंबर 408 रकबा 09–09–00 किस्म दांती में से रकबा 06–00–00 भूमियां जिन पर वादीगण काबिज काश्त है। उक्त भूमियां राजस्व रेकार्ड में राज्य सरकार के नाम से पहाडिया एंव पर्वत के रूप में अंकित चली आ रही है। वादग्रस्त भूमि के लगते हुये ही वादीगण की अन्य खातेदारी भूमियां भी स्थित चली आ रही है। वादीगण वादग्रस्त भूमियों पर अपने पूर्वजो के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है, एंव अपनी ही भूमियां समझते चले आ रहे है, एंव पिछले करीब 30–40 साल से लगातार वादग्रस्त भूमियो पर निरन्तर शांतिपूर्ण तरीके से काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण ने विवादित भूमियों में लाखो रूपये खर्च कर एंव कडी मेहनत कर भूमियों को समतल करवाकर खाद बीज इत्यादि डालकर भूमियों को उपजाऊ एंव काबिल काश्त बनाया एंव वर्तमान स्वरूप दिया है। वादग्रस्त भूमियों पर समय समय पर तिल, ज्वार, बाजरा चरी इत्यादि की फसले काश्त करते चले आ रहे हे। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा समय समय पर वादीगण को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नोटिस भी दिये जाते है, वादीगण ने समय समय पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से मिलकर वादग्रस्त भूमियों के खातेदारी अधिकार वादीगण को प्रदान करने हेतू निवेदन किया किन्तु वादीगण के निवेदन पर कोई ध्यान नही दिया गया के कारण वादीगण को वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय की शरण में आना पडा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादीगण को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण को विवादित भूमि से बेदखल नही करे तथा कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उपस्थित नही करे खर्चा वाद दिलाया जावे।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज.

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने अपने पत्र क्रमांक 181 दिनांक 23.5.2018 के द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया है, कि खसरा नंबर 408 दांती सिवायचक रेकार्ड में दर्ज है, इसी प्रकार खसरा नंबर 408 पर अवेध कब्जा काश्त कर रहा है, या फिर संलग्न दस्तावेज यथा संभव 91 के नोटिस के आधार पर अपने नाम नियमन करवाना चाहता है तो नियमानुसार आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष आवेदन कर कार्यवाही हेतू स्वतंत्र है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत 2069 से 2072 के अनुसार विवादित खसरा नंबर 408 पहाडिया और पर्वत दर्ज होना पाया गया। वादीगण को धारा 91 का नोटिस सन् 2016 में दिया जाना पाया गया जिसमें विवादित भूमि खसरा नंबर 408 में रकबा 04–10–00 पर ज्वांर बाजरा पर कब्जा कर अतिचार करना पाया गया। इसी प्रकार धारा 91 का

राजस्व वाद संख्या 103 सन् 2017

श्री लक्ष्मण वगैरह बनाम राजस्थान सरकार वगैरह

// 2 //

नोटिस सन् 2013, 2015, 2012 में विवादित भूमि खसरा नंबर 408 में रकबा 06–00–00 पर ज्वार, बांजरा, पर कब्जा कर अतिचार करना पाया गया। उक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा एंव काश्त होना पाया जाता है, तहसीलदार मसूदा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वादीगण विवादित भूमि का नियमन करने की सिफारिश की है। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजी साक्ष्य एंव तहसीलदार मसूदा के रिपोर्ट के अनुसार वादीगण विवादित भूमि का नियमन कराने के अधिकारी होना पाया जाते है।

अतः वादीगण का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध इस कदर स्वीकार किया जाकर ग्राम नीमगढ पटवार हल्का नीमगढ तहसील मसूदा में खसरा नंबर 408 रकबा 09–09–00 किस्म दांती में से रकबा 06–00–00 जो वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग में चली आ रही है, उसे नियमन करने हेतू नियमानुसार नियमन कमेटी में भेजे जाने के आदेश पारीत किये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.5.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.30 17:15:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: